रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1264] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2008/भाद्र 18, 1930
No. 1264] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2008/BHADRA 18, 1930

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2008

का.आ. 2171(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री आर. अमरनाथ राव, अधिवक्ता, चेन्नई उच्च न्यायालय और अन्यों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है) द्वारा संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड (1) के अधीन श्री एन. जोथी, तत्कालीन संसद सदस्य (राज्य सभा) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के निबंधनानुसार तारीख 24 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है जिसमें उनकी अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाया गया है;

और याचियों ने यह अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी अनेक न्यायालय मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री के ज्येष्ठ प्रतिरक्षा काउंसेल का पद धारण कर रहे थे और उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के शासकीय काउंसेल के रूप में धन का अर्जन और अनेक फायदे प्राप्त किए थे इस प्रकार प्रत्यर्थी संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के अर्थांतर्गत लाभ का पद धारण कर रहे थे और इसलिए उन्होंने राज्य सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हता उपगत की है और इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड (2) के अधीन तारीख 17 अप्रैल, 2006 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री एन. जोथी, जो उस समय राज्य सभा के आसीन सदस्य थे संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के अधीन संबंधित सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गए थे;

और जब यह मामला निर्वाचन आयोग के समीक्षाधीन था, आयोग को यह संसूचित किया गया था कि मद्रास उच्च न्यायालय के एक अवकाशकालीन न्यायाधीश ने तारीख 8-5-2007 को अपने आसीन होने पर प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई 2007 की रिट याचिका सं. 17601 में, पूर्वोक्त निर्देश मामले के संबंध में सभी आगे की कार्यवाहियों को रोक दिया था, जिसमें तत्पश्चात् न्यायालय की एकल पीठ द्वारा तारीख 11-12-2007 के आदेश द्वारा निर्णय दिया गया था और न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जांच, याचिका में उठाए गए विषय तक ही सीमित होनी चाहिए;

और मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के पश्चात् याची ने उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय न्यायपीठ के समक्ष 2007 की रिट अपील सं. 1591 फाइल की है जो अभी तक लंबित है;

और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि जब राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त हुआ था उस समय प्रत्यर्थी राज्य सभा का आसीन सदस्य था और निर्देश के लंबित रहने के दौरान, जो समय रिट याचिका और व्यादेश के कारण काफी लंबा हो गया था, आयोग मामले पर आगे कार्यवाही नहीं कर सका था और प्रत्यर्थी का राज्य सभा के सदस्य के रुप में कार्यकाल 3 अप्रैल, 2008 को समाप्त हो गया था और वह उस तारीख से उस सदन के सदस्य नहीं हैं;

और निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि चूंकि राज्य सभा के सदस्य के रुप में श्री जोथी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है इसलिए इस राय को, इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि आयोग द्वारा जांच के परिधि क्षेत्र के प्रश्न के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील अभी भी लंबित है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों और सभी समान प्रकार के निर्देश मामलों में आयोग द्वारा दी गई सुसंगत रायों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय का इस मामले में कोई सारवान प्रभाव नहीं पड़ेगा;

और निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि आयोग ने पूर्व में ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान वह व्यक्ति, जिससे शिकायत संबंधित थी, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया था, निरंतर इस प्रभाव की राय प्रस्तुत की है कि मामला निरर्थक हो गया था, और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा दी गई किसी राय का केवल शैक्षणिक मूल्य है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि संवैधानिक विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और आयोग द्वारा पूर्व में ऐसे सभी निर्देश मामलों में लिए गए मत के अनुसार निर्वाचन आयोग की सुविचारित राय यह है कि श्री एन. जोथी के राज्य सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित रुप से निरर्हित होने के प्रश्न से संबंधित वर्तमान निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सभा में उनकी सदस्यता का कार्यकाल 3 अप्रैल, 2008 को समाप्त हो गया है और अब वे उस सदन के सदस्य नहीं है, निरर्थक हो गया है;

अतः, अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अभिनिर्धारित करती हूं कि 24 मार्च, 2006 की याचिका में श्री एन. जोथी के राज्य सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित रुप से निरर्हित होने के संबंध में उठाया गया प्रश्न इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सभा में उनकी सदस्यता का कार्यकाल 3 अप्रैल, 2008 को समाप्त हो गया है और अब वे उस सदन के सदस्य नहीं हैं, निरर्थक हो गया है।

22 अगस्त, 2008

भारत की राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11026(2)/2008-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री एन. जोथी की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 43
[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत की राष्ट्रपति से तारीख 17 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हुआ निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग से राय मांगी गई है कि क्या श्री एन.जोथी, जो उस समय राज्य सभा के आसीन सदस्य थे, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संबंधित सदन के सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ।

2. श्री एन. जोथी की अभिकथित निरर्हता का पूर्वोक्त प्रश्न श्री आर. अमरनाथ राव, अधिवक्ता चेन्नई उच्च न्यायालय और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को तारीख 24.03.2006 को प्रस्तुत की गई याचिका में उठाया गया था ।

3. याची ने यह अभिकथन किया था कि श्री जोथी विभिन्न न्यायालय मामलों में भूतपूर्व मुख्यमंत्री के ज्येष्ठ प्रतिरक्षा काउंसेल का पद धारण कर रहे थे और उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के शासकीय काउंसेल के रूप में धनार्जन और अनेक फायदे लिए थे और इस प्रकार श्री जोथी अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थ के भीतर लाभ का पद धारण कर रहे थे और इसलिए उन्होंने राज्य सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हता उपगत की है । याची ने यह दलील दी थी कि इस दृष्टि से श्री जोथी को राज्य सभा के सदस्य होने से निरर्हित किया जाना चाहिए ।

4. श्री राव की याचिका के साथ प्रतिरक्षा काउंसेल के उक्त पद पर श्री जोथी की अभिकथित नियुक्ति के उसके तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं थे, जिसे लाभ का पद अभिकथित किया गया था । इसके अतिरिक्त, श्री राव की याचिका में उनके द्वारा निर्दिष्ट पद पर श्री जोथी की नियुक्ति की तारीख के बारे में कोई विनिर्दिष्ट कथन अंतर्विष्ट नहीं था ।

अतः याची को 25 अप्रैल, 2006 की आयोग की सूचना द्वारा उस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । सूचना के बावजूद, याची ने आयोग को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया था । अतः, आयोग ने तारीख 18.08.2006 के पत्र द्वारा तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी मांगते हुए पत्र लिखा था :

(क) क्या याचिका में दावा किए गए अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने काउंसेल/या भूतपूर्व मुख्यमंत्री के काउंसेल के रूप में श्री एन. जोथी की नियुक्ति 03.04.2002 (वह तारीख, जिससे राज्य सभा के सदस्य के रूप में श्री जोथी की पदावधि प्रारंभ हुई थी) के पश्चात् किसी समय की गई थी ।

(ख) यदि वह राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए थे तो ऐसी नियुक्ति से संबंधित आदेश की एक प्रति और नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत फीसों और परिलब्धियों के संदाय से संबंधित निबंधन भी हैं, से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां आयोग को प्रस्तुत की जाएं ।

5. राज्य सरकार ने तारीख 20.10.2006 के अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया था कि श्री जोथी को लगाए जाने का कोई नियुक्ति आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था । तथापि, उन्होंने यह कथन किया कि श्री जोथी ने कावेरी जल विवाद मामलों में भाग लेने के लिए सरकारी खर्चे पर चेन्नई और दिल्ली के बीच अनेक हवाई यात्राएं की थीं, जिसके लिए 243, 240/- रुपए का व्यय पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा वहन किया गया था इसके अतिरिक्त, श्री जोथी को 27.03.2003 से 11.05.2006 की अवधि के दौरान नई दिल्ली स्थित तमिलनाडु भवन में एक कमरा भी आबंटित किया गया था किंतु कमरे के किराए, कैटरिंग प्रभार, टेलीफोन, परिवहन, आदि का बिल, जो 795, 264/- रुपए बना था, श्री जोथी द्वारा नहीं चुकाया गया था ।

6. राज्य सरकार के उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने तारीख 4.12.2006 को श्री जोथी को यह सूचना जारी की थी कि वह 22.12.2006 तक अपना उत्तर फाइल करें । श्री जोथी ने अपना उत्तर फाइल करने के बजाय याची की सदाशयता के संबंध में प्रारंभिक आक्षेप किया था और वर्तमान मामले में सभी याचियों की प्रमाणिकता, सदाशयता और विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए उनके ब्यौरे मांगे थे । इसके अतिरिक्त, उसने उन अभिलेखों की अधिप्रमाणित प्रतियां भी मांगी थीं, जिनपर तारीख 20.10.2006 को पत्र-व्यवहार करते समय मुख्य सचिव तमिलनाडु सरकार ने निर्भर किया था । आयोग ने तारीख 4.1.2007

के अपने पत्र द्वारा श्री जोथी को यह कहा था कि मुख्य सचिव, तमिलनाडु के पत्र में निर्दिष्ट वायु यात्राओं, आदि के ब्यौरे पहले ही मुख्य सचिव के पत्र में दे दिए गए थे । उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि पहले याची को मुख्य याची के रूप में माना जाए और उनको 19.01.2007 तक लिखित कथन फाइल करने के लिए कहा गया था ।

7. आयोग के तारीख 4.1.2007 के पत्र के प्रत्युत्तर में, श्री एन. जोथी ने याची द्वारा किए गए अभिकथनों के प्रति अपना उत्तर फाइल किया था । प्रत्यर्थी ने अनुच्छेद 103 के अधीन आयोग द्वारा की जाने वाली जांच की परिधि के संबंध में प्रारंभिक आक्षेप किया था और यह भी कहा था कि उसे राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री कुमारी जयललिता की, उनकी पदीय हैसियत में प्रतिनिधित्व करने के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था या लगाया नहीं गया था और या तो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा उनके विरुद्ध संस्थित वादों में अभियुक्त व्यक्ति के रूप में उनकी निजी हैसियत में उनके मामले का प्रतिवाद करते समय, उनके द्वारा सरकार के अधीन लाभ का पद ग्रहण किया गया नहीं कहा जा सकता । उनके द्वारा की गई यात्राओं के संबंध में श्री जोथी ने यह कथन किया था कि उन्होंने राज्य के मंत्रियों, विधायकों और संसद् सदस्यों के दल/शिष्टमंडल के भाग के रूप में यात्रा की थी, जो कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम अधिनिर्णय के क्रियान्वयन के लिए राज्य के दृष्टिकोण को सुस्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए और कावेरी जल विवाद के संबंध में अधिवक्ताओं के दल के साथ विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली बार-बार गए थे । इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह कथन किया कि उन्होंने कोई फीस या संदाय प्राप्त नहीं किया था और अन्यथा भी, फीस के संदाय से इस कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी वृत्तिक सेवा के लिए लगने के मामले में, जो किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, फीस के संदाय द्वारा "लाभ" अर्जन करने का प्रश्न ही नहीं उठता । उन्होंने यह भी कथन किया कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता का मामला लाने के लिए किसी 'पद' का होना अनिवार्य है । उसे किसी व्यक्ति द्वारा धारित होना चाहिए । चूंकि वह किसी पद पर नियुक्त नहीं थे, अतः उनका मामला संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) की परिधि के अधीन नहीं आ सकता । उन्होंने यह और कथन किया कि उन्होंने इस मामले में वैयक्तिक सुनवाई की वांछा की थी और यदि आयोग पूर्णरूपेण जांच के लिए अग्रसर होना चाहता है तो वह साक्षियों आदि की परीक्षा के द्वारा अपने मामले को प्रस्तुत करेंगे ।

8. याची ने अपने उत्तर में प्रत्यर्थी द्वारा उसके लाभ का पद न धारण करने के संबंध में

दिए गए प्रतिवाद का विरोध किया है । याची ने यह कथन किया कि वे संघटक, जो किसी पद को अनुच्छेद 102 (1)(क) के प्रयोजन के लिए लाभ का पद मानने के लिए अपेक्षित हैं, श्री जोशी के मामले में पूरे होते हैं । याची ने यह और कथन किया कि चूंकि प्रत्यर्थी को कावेरी जल विवाद अधिकरण की बाबत विशेष कर्तव्य सौंपा गया था, अतः, यह विधि की दृष्टि में पद धारण करने के बराबर है ।

9. याची और साथ ही प्रत्यर्थी के अनुरोध पर विचार करते हुए, आयोग ने दोनों पक्षकारों को सुनने के लिए 10.5.2007 को सुनवाई नियत की थी और 12.4.2007 को उन्हें सूचना जारी की थी ।

10. आयोग की सूचना, तारीख 12 अप्रैल, 2007 के उत्तर में, प्रत्यर्थी श्री एन. जोथी ने अपने तारीख 25.4.2007 के पत्र द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कथन किया था कि सुनवाई की सूचना मे यह उपदर्शित नहीं है कि क्या नियत की गई सुनवाई जांच की परिधि से संबंधित प्रारंभिक आक्षेपों/पक्षकथनों की बाबत है या सामान्य प्रकृति की है ।

11. आयोग ने अपने तारीख 4-5-2007 के पत्र द्वारा श्री जोथी को यह सूचित किया था कि सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में है और सुनवाई का संबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 के अधीन अध्यपेक्षा किए जाने पर तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त अंतर्वस्तुओं से है । उसका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146ख की ओर भी दिलाया गया था । उसे यह सूचित किया गया था कि वह सुनवाई में मामले से संबंधित सभी मुद्दों पर अपना पक्षकथन कर सकता है ।

12. 10 मई, 2007 को, सुनवाई के समय, भारत निर्वाचन आयोग के सचिव को संबोधित श्री एन. जोथी द्वारा हस्ताक्षरित तारीख 8.5.2007 का एक पत्र आयोग को यह सूचना देते हुए दिया गया था कि मद्रास उच्च न्यायालय के एक अवकाशकालीन न्यायाधीश ने 8.5.2007 को अपनी बैठक में उसके (श्री जोथी) द्वारा फाइल की गई 2007 की रिट याचिका संख्या 17601 मे उपरोक्त निर्देश मामले की बाबत आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी थी । अंतरिम व्यादेश की एक प्रति भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी । रिट याचिका में तत्पश्चात् न्यायालय की एकल पीठ द्वारा तारीख 11.12.2007 के आदेश द्वारा निर्णय दिया गया था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जांच श्री आर. अमरनाथ राव द्वारा प्रस्तुत की गई

तारीख 24.3.2006 की याचिका में उठाए गए मामले तक ही सीमित रहनी चाहिए । तत्पश्चात्, इसमें याची (श्री राव) ने उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली न्यायपीठ के समक्ष रिट अपील (2007 का संख्यांक 1591) फाइल की थी । रिट अपील अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

13. राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त होने के समय, श्री जोथी राज्य सभा के आसीन सदस्य थे । निर्देश के, जो लंबे समय से रिट याचिका के विचाराधीन था और उस व्यादेश के, जिसके कारण आयोग मामले में आगे कार्यवाही नहीं कर सकता था, लंबित रहने के दौरान श्री जोथी की राज्य सभा के सदस्य के रूप में अवधि 3 अप्रैल, 2008 को समाप्त हो गई थी और यह उस तारीख से उस सदन के सदस्य नहीं रह गए हैं ।

14. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सभा सदस्य के रूप में श्री जोथी की पदावधि अब समाप्त हो चुकी है, यह राय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के बावजूद भी आयोग द्वारा जांच की परिधि के प्रश्न के संबंध में दी जा रही है, क्योंकि उच्च न्यायालय के विनिश्चय से मामले में निम्नलिखित पैराओं में दिए गए कारणों से कोई सारवान् प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ।

15. 03.04.2008 को राज्य सभा में श्री जोथी की सदस्यता की पदावधि के समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए, इस प्रारंभिक मुद्दे को सर्वप्रथम विनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि क्या निर्दिष्ट याचिका में उठाया गया उसकी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग की किसी राय के लिए शेष रहता है ।

16. अनुच्छेद 103(2) और अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों से निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाहियां होती हैं । अतः, ऐसे मामलों में, आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति से मार्गदर्शित होता है और उनका अनुसरण करता है । साधारण सिद्धांत के रूप में, न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवंत मुद्दों पर विचार करते हैं और ऐसे किसी मुद्दे का विनिश्चय नहीं करते हैं जो पूर्णतः अव्यवहारिक हैं या किसी अव्यवहारिक घटना के कारण व्यर्थ हो गया है । ऐसे मामलों में, जहां किसी निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, वह अभ्यर्थी, जिसका निर्वाचन चुनौती के अधीन था, उसकी मृत्यु पर या सदन के स्थान से उसके त्यागपत्र के कारण संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहता है या जहां सदन स्वयं विघटित हो जाता है, वहां

उच्चतम न्यायालय ने अपील को व्यर्थ माना है और उस रूप में अपील को खारिज कर दिया है । **पोडिपीरेड्डी अच्युता देसाई बनाम चिन्नम जोगा राव** [(1987) सप्प.एस.सी.सी. 42] के मामले में, जहां निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान सदन विघटित हो गया था, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था :

> "इस निर्वाचन अपील में उठाए गए प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है । हम अपीलार्थी की ओर से किए गए पक्षकथनों के बल को भी देखते हैं । इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए सिरे से निर्वाचन पहले ही हो चुके हैं और उस दृष्टि से अपील अनावश्यक हो गई है, यदि हम निर्वाचन याचिका खारिज करने की विधिमान्यता या अन्यथा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की परीक्षा करते हैं तो हम एक निरर्थक प्रयास करेंगे । इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के विनिश्चय की विधिमान्यता या अन्यथा पर किसी भी तरह का कोई मत अभिव्यक्त किए बिना हम यह निदेश देते हैं कि यह अपील खर्चों के बारे में किसी आदेश के बिना निपटा दी गई समझी जाएगी ।"

17. पूर्व में, उच्चतम न्यायालय ने **लोकनाथ पधान बनाम बिरेन्द्र कुमार साहू** (ए.आई.आर. 1974, एस.सी. 505) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया था :

> "विधान सभा के भंग होने पर, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करना, निरर्थक या परिणामहीन होगा और इसलिए न्यायालय को अपील में उद्भूत होने वाले प्रश्न के गुणागुण पर विचार-विमर्श करने से इंकार करना चाहिए । हम यह सोचते हैं कि प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इस प्रारंभिक दलील में अत्यधिक बल है । भारत और इंग्लैंड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित की जाने वाली यह एक सुव्यवस्थित परिपाटी है कि न्यायालय को ऐसे किसी मुद्दे का विनिश्चय करने का तब तक उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहिए जब तक वह पक्षकारों के बीच जीवंत मुद्दा न हो । यदि कोई मुद्दा इस प्रकार पूर्णतः अव्यवहारिक है कि उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी और वस्तुतः न्यायालय के लिए उसके विनिश्चय में स्वयं को लगाना प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । .....

..... वर्तमान मामले में उड़ीसा विधान सभा के विघटित होने पर इस बात पर विचार करना कि क्या उस तारीख को, जिसको नामनिर्देशन फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी धारा 9क के अधीन निरर्हित था, अव्यवहारिक हो गया है । यह पाए जाने पर भी कि वह इस प्रकार निरर्हित था, इसका कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं होगा, क्योंकि उड़ीसा विधान सभा के विघटन के पश्चात् उसके निर्वाचन का अविधिमान्य किया जाना अर्थहीन और निष्प्रभावी होगा । .....

..... यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी निरर्हित था, नामनिर्देशन की तारीख को विद्यमान तथ्यों पर आधारित होगा और जहां तक भावी समय में स्थिति का संबंध है, इसकी संगति नहीं होगी और इसलिए, उड़ीसा विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए, इसमें किसी भी पक्षकार का कोई व्यावहारिक हित नहीं होगा । न तो इससे अपीलार्थी को फायदा होगा, न ही यह किसी व्यावहारिक रूप में प्रत्यर्थी को प्रभावित करेगा और यह विचार करना कि क्या प्रत्यर्थी नामनिर्देशन की तारीख को निरर्हित था, पूर्णतः अव्यवहारिक होगा ।"।

18. पुनः, उच्चतम न्यायालय ने **धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी** (ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1577) के मामले में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया था :

"चुनौती के अधीन निर्वाचन 1981 से संबंधित है, इसकी अवधि 1984 में लोक सभा के विघटन पर समाप्त हो गई थी, तत्पश्चात्, अन्य साधारण निर्वाचन, दिसंबर 1984 में हुए थे और प्रत्यर्थी पुनः 25वीं अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ था । 1984 में निर्वाचन क्षेत्र की विधिमान्यता को दो पृथक् निर्वाचन याचिकाओं के द्वारा प्रश्नगत किया गया था और दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं । प्रत्यर्थी के निर्वाचन की विधिमान्यता को **अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, ए.आई.आर. 1986, एस.सी. 1253** और **भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी (1986) 4 एस.सी.सी. 78** (ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 1534) में मान्य ठहराया गया है । चूंकि आक्षेपित निर्वाचन का संबंध उस लोक सभा से है, जो 1984 में विघटित हो गई थी, प्रत्यर्थी का निर्वाचन वर्तमान कार्यवाहियों में इस बात के बावजूद भी अपास्त नहीं किया जा सकता कि निर्वाचन याचिका अंततः विचारण पर अनुज्ञात की गई है क्योंकि प्रत्यर्थी 1981 में हुए आक्षेपित निर्वाचन के आधार पर नहीं बल्कि 1984 में उसके बाद के निर्वाचन के

आधार पर लोक सभा का लगातार सदस्य है । यदि हम अपील को मंजूर करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित कर देते हैं तो भी प्रत्यर्थी का निर्वाचन, निर्वाचन याचिका के विचारण के पश्चात् भी अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्वाचन को अपास्त करने की राहत समय के व्यतीत होने पर व्यर्थ कर दी गई है । इस दृष्टि से प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करने के लिए याचिका मे उठाए गए आधार अव्यवहारिक बना दिए गए हैं । न्यायालय को तब तक किसी मुद्दे का विनिश्चय करने का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहिए जब तक वह पक्षकारों के बीच जीवंत मुद्दा नहीं हो । यदि कोई मुद्दा उस रूप में पूर्णतः अव्यवहारिक है कि उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी और वस्तुतः न्यायालय के लिए उसके विनिश्चय मे स्वयं को लगाना अधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । **सन लाईफ एश्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जरविस, 1944 ए.सी. 111** के मामले में हाऊस आफ लार्ड्स में अपने भाषण में लार्ड विसकाऊंट साइमन ने यह संप्रेक्षण किया था "मैं यह नहीं समझता कि यह उस प्राधिकार का उचित प्रयोग होगा जो इस हाऊस के पास अपीलों की सुनवाई के संबंध मे है, यदि यह इस मामले मे ऐसे अव्यवहारिक प्रश्न का विनिश्चय करने में समय लगाता है, जिसका उत्तर किसी भी रूप में प्रत्यर्थी को प्रभावित नहीं कर सकता । यदि इस हाऊस द्वारा निपटाए जाने के लिए उपयुक्त किसी अपील की यह अनिवार्य विशेषता है कि किसी मामले के पक्षकारों के बीच वास्तव में अंतरविरोध विद्यमान होना चाहिए, जिसे हाऊस जीवंत मुद्दे के रूप में विनिश्चित करता है ।" ये संप्रेक्षण इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत हैं ।"

19. आयोग ने ऐसे निर्देश मामलो में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुपालन किया है, जहां वह सदस्य, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई थी, आयोग द्वारा राय दिए जाने और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया था । सभी ऐसे मामलों में आयोग द्वारा अभिनिर्धारित किए जाने वाला संगत दृष्टिकोण यह था कि निदेश व्यर्थ हो गया था । ऐसे कुछ मामलों का उदाहरण देने के लिए, आयोग की श्री रणजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के बारह अन्य सदस्यों (51 पी.एल.आर. 354) की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में तारीख 17-6-1971 की राय, श्री लजिन्द्र

सिंह बेदी और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में (51, पी.एल.आर. 360) तारीख 10.1.1972 की राय, श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 2.7.1960 की राय, डॉ0 जगन्नाथ मिश्र, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशीराव पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय, श्रीमति जयन्ती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जे0जयललिता, तमिल नाडु विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की राय इस संदर्भ में देखी जा सकती हैं ।

20. डॉ0 जगन्नाथ मिश्र के मामले में (1989 का निर्देश मामला 2), उस मामले में उठाया गया प्रश्न इस आधार पर डॉ0 जगन्नाथ मिश्र, तत्कालीन राज्य सभा के आसीन सदस्य की अभिकथित निरर्हता के बारे में था कि वे एल0एन0 मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना के अध्यक्ष-सह-महा निदेशक का पद धारण कर रहे थे । उस मामले में, तारीख 10-6-1989 की एक याचिका राष्ट्रपति द्वारा आयोग को 10-7-1989 को भेजी गई थी । उठाए गए प्रश्न के संबंध में आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान, डॉ0 मिश्र ने राज्य सभा के अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र 16-3-1990 को सदन के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था । आयोग ने तब यह राय दी थी कि डॉ0 मिश्र के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश व्यर्थ हो गया है । आयोग ने उस मामले में दी गई अपनी राय में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया :

> "16-3-1990 को डॉ0 मिश्र के त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वे उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे हैं । अतः, यह प्रश्न कि क्या वह उस सभा के सदस्य के रूप में बने रहने से निरर्हित हो गए हैं, इस समय विचार किए जाने के लिए नहीं बचता है क्योंकि अब वे पहले से ही उस सभा के सदस्य नहीं हैं । इन परिस्थितियों में, आयोग की यह राय लेने के लिए राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश कि क्या डॉ0 मिश्र राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं, व्यर्थ हो गया है ।"

21. 1992 के निर्देश मामला संख्या 1 में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-

1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयंती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन सदस्या ने इस आधार पर निरर्हता उपगत कि है कि वे 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी काउन्सेल थीं । याचिका 30-6-1992 को आयोग को भेजी गई थी । श्रीमती नटराजन की सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी । आयोग ने निर्देश को व्यर्थ माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और 12-7-1992 को उस आशय की राय दी थी ।

22. सुश्री जे0 जयललिता से संबंधित निर्देश मामलों में (1993 का निर्देश मामला संख्या 1(ख)-6(छ) और 1994 का 1(छ)) [तमिलनाडु के राज्यपाल से अनुच्छेद 192 (2) के अधीन प्राप्त निर्देश], जिनमें तमिलनाडु विधान सभा की सदस्यता से सुश्री जयललिता की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया गया था, वह सभा, जिसमें वह सदस्य थी और सदस्यता, जो उन मामलों में उठाए गए प्रश्न की विषयवस्तु थी, निर्देश मामलों के लंबित रहने के दौरान विघटित हो गया था । सभा के विघटन के परिणामस्वरूप, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि ये मामले व्यर्थ हो गए हैं । उस मामले में, आयोग ने **लोकनाथ पधान बनाम बिरेन्द्र कुमार साहू** (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय पर निर्भर रहते हुए निम्नलिखित संप्रेक्षण किया :

> "उक्त प्रश्न के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने पर, आयोग का यह मत है कि ऐसी कोई राय अब अनावश्यक होगी । इस प्रक्रम पर, इस प्रश्न पर कोई जांच अब मात्र अव्यवहारिक हित की ही होगी कि क्या सुश्री जयललिता पहले ही मई, 1996 में विघटित पूर्ववर्ती तमिलनाडु विधान सभा के सदन की सदस्या के रूप में बने रहने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गई हैं, और यह व्यर्थ की प्रक्रिया होगी । उपरोक्त प्रश्न पर किसी उद्घोषणा से उनकी वर्तमान प्रास्थिति पर न तो किसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा, न ही ऐसी उद्घोषणा से इस प्रक्रम पर कोई महत्वपूर्व प्रयोजन सिद्ध होगा । भारत में मान्यताप्राप्त और अनुसरित की जाने वाली यह एक सुव्यवस्थित न्यायिक परिपाटी है कि यदि कोई मुद्दा उस रूप में पूर्णतः अव्यवहारिक है कि उसके विनिश्चय से किसी भी प्रकार पक्षकारों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह जनता के समय की बर्बादी होगी और वस्तुतः न्यायालयों के लिए ऐसे अव्यवहारिक मुद्दों का विनिश्चय करने में अपने को लगाने में प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । श्री बोबडे, लोकनाथ पधान बनाम बिरेन्द्र कुमार साहू (ऊपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय पर

निर्भर रहने में सही थे । उस मामले में उड़ीसा विधान सभा के सफल अभ्यर्थी के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसकी कतिपय संकर्मों के निष्पादन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ अस्तित्वयुक्त संविदा थी और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के अधीन निरर्हित है । उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था किंतु जब उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील लंबित थी उसी समय उड़ीसा विधान सभा विघटित हो गई थी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए अपील को व्यर्थ हो जाने के कारण खारिज कर दिया था ।"

23. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिससे शिकायत संबंधित है, कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहा है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला व्यर्थ हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग की कोई राय केवल अव्यवहारिक महत्व की होगी ।

24. उपरोक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए पूर्वोक्त मत से संगत, आयोग की सुविचारित राय है कि राज्य सभा का सदस्य रहने से श्री एन0 जोथी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में वर्तमान निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यर्थ हो गया है कि राज्य सभा में उनकी सदस्यता की पदावधि 3-4-2008 को समाप्त हो गई है और वे सदन के सदस्य नहीं रहे हैं ।

25. तदनुसार, श्री एन0 जोथी की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 17 अप्रैल, 2006 का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग के इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वह व्यर्थ हो गया है ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(एस0 वाई0 कुरैशी)	(एन0 गोपालास्वामी)	(नवीन बी0 चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 22 मई, 2008

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2008

S.O. 2171(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition dated the 24th March, 2006 raising the question of alleged disqualification in terms of sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution in respect of Shri N. Jothi, the then Member of Parliament (Rajya Sabha) (hereinafter referred to as the respondent) under clause (1) of article 103 has been submitted to the President of India jointly by Shri R. Amernath Rao, Advocate, High Court of Chennai and others (hereinafter referred to as the petitioners);

And whereas petitioners have alleged that the respondent was holding the post of Senior Defence Counsel to the former Chief Minister in several court cases and earned money and several benefits as an official counsel for the Chief Minister of Tamil Nadu and thus the respondent was holding an office of profit within the meaning of sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution and hence incurred disqualification for being a member of Rajya Sabha and in view thereof he should be disqualified from being a Member of the Rajya Sabha;

And whereas the opinion of the Election Commission of India has been sought by the President under a reference dated the 17th April, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri N. Jothi, who was then a sitting member of the Rajya Sabha, had become subject to disqualification for being a Member of the House concerned under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas while the matter was under examination with the Election Commission, the Commission was intimated that a vacation judge of the Madras High Court at his sitting on 08.05.2007 had stayed all further proceedings with respect to the above reference case, in writ petition No. 17601 of 2007, filed by the respondent, which was subsequently decided by a Single Bench of the Court *vide* order dated 11.12.2007 and the Court held that the enquiry should be confined to the matter raised in the petition;

And whereas after the decision of a Single Bench of the Madras High Court, the petitioner has filed a writ appeal No. 1591 of 2007 before the Double Bench of the High Court which is still pending;

And whereas the Election Commission has noted that the respondent was a sitting member of the Rajya Sabha when the reference was received from the President yet during the pendency of the reference, which prolonged due to the writ petition and the injunction order, the Commission could not proceed further in the matter and the term of the respondent as a Member of the Rajya Sabha expired on the 3rd April, 2008, and he has ceased to be a member of that House with effect from that date;

And whereas the Election Commission has stated that the term of Shri Jothi as Member of the Rajya Sabha has since expired, this opinion is being tendered irrespective of pendency of the writ appeal before the Madras High Court, on the question of scope of enquiry by the Commission, as the High Court's decision is not going to have any material effect in the matter in the light of several decisions of the Apex Court and the consistent opinions tendered by the Commission in all similar reference cases;

And whereas the Election Commission has stated that in all reference cases in the past in which the person to whom the complaint pertained ceased to be member of the House concerned during the pendency of the proceedings, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annexure) that having regard to the constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past, the Commission is of the considered opinion that the present reference on the question of alleged disqualification of Shri N. Jothi, for being a member of the Rajya Sabha has become infructuous, in view of the fact that the term of his membership in the Rajya Sabha has expired on the 3rd April, 2008, and he is no longer a member of the House;

Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby hold that the question of alleged disqualification of Shri N. Jothi, for being a member of the Rajya Sabha, raised in the petition dated the 24th March, 2006 has become infructuous, in view of the fact that the term of his membership in the Rajya Sabha has expired on the 3rd April, 2008, and he is no longer a member of the House.

22nd August, 2008

President of India

[F. No. H-11026(2)/2008-Leg. II]

Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. & Legislative Counsel

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:
Alleged disqualification of Shri N. Jothi, former Member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution.

Reference Case No. 43 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 17th April, 2006 from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking opinion of the Election Commission of India on the question whether Shri N. Jothi, who was then a sitting member of the Rajya Sabha, had become subject to disqualification for being Member of the House concerned under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The aforesaid question of alleged disqualification of Shri N.Jothi was raised in a petition dated 24.3.2006 submitted to the President jointly by Shri R. Amernath Rao, Advocate, High Court of Chennai and some others.

3. The petitioner had alleged that Shri Jothi was holding the post of Senior Defence Counsel to the former Chief Minister in several Court Cases and earned money and several benefits as an official counsel for the Chief Minister of Tamil Nadu, and thus Shri Jothi was holding an office of profit within the meanings of Article 102(1)(a) and hence incurred disqualification for being a member of Rajya Sabha. The petitioner contended that in view thereof, Shri Jothi should be disqualified from being a member of the Rajya Sabha.

4. The petition of Shri Rao was not accompanied by any documents supporting his contention of alleged appointment of Shri Jothi to the said office of Defence Counsel that was alleged to be office of profit. Further, the petition of Shri Rao did not contain specific statement about the date of appointment of Shri Jothi to the office referred to by him. The Petitioner was, therefore, asked to furnish specific information in that regard vide the Commission's Notice dated 25th April, 2006. Despite notice, the petitioner did

not submit any reply to the Commission. Therefore, the Commission wrote to the Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu, vide letter dated 18.8.2006 seeking information on the following aspects:

(a) Whether Shri N. Jothi was appointed by the State Government as its counsel/or counsel for the former Chief Minister, as claimed in the petition, at any point of time after 3.4.2002 (the date from which the term of Shri Jothi as Member of Rajya Sabha commenced).

(b) If he was so appointed by the State Government, a copy of the order relating to such appointment and copies of documents relating to terms and conditions of the appointment including terms regarding payment of fees and emoluments, may be submitted to the Commission.

5. The State Government, vide their letter dated 20.10.2006, informed that no appointment order engaging Shri Jothi had been issued by the State Govt. However, they stated that Shri Jothi had performed several air journeys between Chennai and Delhi at Government expenses to attend to Cauvery water disputes matters, for which the expenditure of Rs. 243,240/- was borne by the PWD. Further, Shri Jothi was also allotted a room in the Tamil Nadu House at New Delhi during the period from 27.3.2003 to 11.5.2006, but the bill for the room rent, catering charges, telephone, transport etc. which came to Rs. 795,264/- was not settled by Shri Jothi.

6. In view of the above reply of the State Government, the Commission issued notice dated 4.12.2006 to Shri N. Jothi to file his reply by 22.12.2006. Shri Jothi instead of filing his reply, raised the preliminary objection regarding the bonafides of the petitioners, and sought the details of all the petitioners in the instant case to ascertain their authenticity, bonafides and credibility. In addition to this, he also sought the authenticated copies of the records, which were relied upon by the Chief Secretary, Tamil Nadu while making the communication dated 20.10.2006. The Commission vide its letter dated 4.1.2007, informed Shri Jothi that details regarding air journeys etc. referred to in the letter of the Chief Secretary, Tamil Nadu, were already given in the Chief Secretary's letter. He was also informed that the first petitioner be treated as the main petitioner, and he was asked to file written statement by 19.1.2007.

3353 GI/08-5

7. In response to the Commission's letter dated 4.1.2007, Shri N. Jothi filed his reply to the allegations made by the petitioner. The respondent raised the preliminary objection regarding the scope of inquiry undertaken by the Commission under Article 103 and also submitted that he had not been appointed or engaged by the Government of Tamil Nadu to represent the former Chief Minister of the State, Km. Jayalalithaa, in her official capacity, and while defending her case in her private capacity as an accused person in suits instituted against her either by the State Govt. or Central Govt., he could not be said to be holding an office of profit under the Govt. As regards the travel undertaken by him, Shri Jothi stated that the travel undertaken by him as part of a team/delegation of Ministers, legislators and MPs from the state which frequented Delhi for the purpose of articulating the stand of the State in seeking implementation of the Interim Award of the Cauvery Water Disputes Tribunal and for discussions with the team of lawyers in connection with the Cauvery water dispute. In addition, he submitted that he did not receive any fees or payment and even otherwise, payment of fees would not make any difference for the reason that in the matter of engagement for a professional service, not being appointment to an office, the question of earning "profit" by payment of fees does not arise. He also stated that to bring a case of disqualification under Article 102(1)(a), it is mandatory to have an "office" and it should be held by some one. Since he was not appointed to any office, his case could not come under the ambit of Article 102(1)(a) of the Constitution. He further stated that he desired a personal hearing in this case and if the Commission wanted to proceed with a full fledged enquiry, he would submit his case by way of examination of witnesses, etc.

8. The petitioner, in his rejoinder countered the defence advanced by the respondent with regard to his not holding the office of profit. The petitioner submitted that the ingredients which are required to treat an office as an office of profit for the purpose of Article 102(1)(a) are fulfilled in the case of Shri Jothi. The petitioner further submitted that since the respondent was assigned a special duty in respect of the Cauvery Water Disputes Tribunal, in the eyes of law it tantamounted to holding an office.

9. Considering the request of the petitioner as well as the respondent, the Commission fixed a hearing on 10.5.2007 to hear both the parties, and issued notice to them on 12.4.2007.

10. In response to the Commission's Notice dated 12th April, 2007, the respondent Shri N. Jothi vide his letter dated 25.4.2007 *inter-alia* stated that the notice for hearing did not indicate whether the hearing fixed was with respect to the preliminary objections/submissions regarding the scope of enquiry or of general nature.

11. The Commission vide its letter dated 4.5.2007 informed Shri Jothi that the hearing was on the question of alleged disqualification referred to the Election Commission for its opinion under Article 103(2) of the Constitution and hearing regard to the inputs received from the State Govt. of Tamil Nadu on being requisitioned under Section 146 of R.P.Act, 1951. His attention was also invited to Section 146B of the Representation of the People Act, 1951. He was informed that he could make his submissions at the hearing on all issues related to the matter.

12. On 10th May, 2007, at the time of hearing, a letter dated 8.5.2007 addressed to the Secretary to the Election Commission of India, signed by Shri N. Jothi, was handed over to the Commission intimating that a vacation judge of the Madras High Court at his sitting on 8.5.2007 had stayed all further proceedings with respect to the above reference case, in the writ petition No. 17601 of 2007, filed by him (Shri Jothi). A copy of interim injunction was also produced before the Commission. The writ petition was subsequently decided by a Single Bench of the High Court vide order dated 11.12.2007. The High Court held that the enquiry should be confined to the matter raised in the petition dated 24.3.2006, submitted by Shri R. Amernath Rao. Thereafter, the petitioner herein (Shri Rao) filed a writ appeal (No. 1591 of 2007) before the Double Bench of the High Court. The writ appeal is still pending before the Hon'ble High Court.

13. Shri Jothi was a sitting member of the Rajya Sabha when the reference was received from the President. During the pendency of the reference which was prolonged inview of the writ petition, and of the injunction order due to which the Commission could not proceed further in the matter. The term of Shri Jothi as Member of the Rajya Sabha expired on 3rd April, 2008, and he has ceased to be a member of that House with effect from that date.

14. In view of the fact that the term of Shri Jothi as member of the Rajya Sabha has since expired, this Opinion is being tendered irrespective of pendency of the writ appeal before the Madras High Court, on the question of scope of enquiry by the Commission, as the High Court's decision is not going to have any material effect in the matter for the reasons in the following paras.

15. In view of the expiry of the term of membership of Shri Jothi in the Rajya Sabha on 3.4.2008, the preliminary issue whether the question of his alleged disqualification raised in the petition referred, survives for any opinion of the Commission under Article 103(2) of the Constitution, needs to be decided at the outset.

16. The proceedings before the Commission in cases of references from the President and Governors under Articles 103 (2) and 192(2) are quasi-judicial proceedings. Hence, in such matters, the Commission is guided by and follows the principles, procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts. As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In cases where during the pendency of an election appeal, the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned, on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such. In *Podipireddy Achuta Desai Vs. Chinnam Joga Rao* [(1987) Supp SCC 42], where the House was dissolved during the pendency of the election appeal, the Supreme Court held:

> "The questions raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be underaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any view, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs."

17. Earlier the Supreme Court in the case of *Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu*(AIR 1974 SC 505),had held:

> "Assembly being dissolved, the setting aside of the election of the respondent would have no meaning or consequence and hence the Court should refuse to embark on a discussion of the merits of the question arising in the appeal. We think there is great force in this preliminary contention urged on behalf the respondent. It is a well settled practice recongnised and followed in India as well as England that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it.....

.....In the present case, the Orissa Legislative Assembly being dissolved, it has become academic to consider whether on the date when the nomination was filed, the respondent was disqualified under S. 9-A. Even if it is found that he was so disqualified, it would have no practical consequence, because the invalidation of his election after the dissolution of the Orissa Legislative Assembly would be meaningless and ineffectual.....

.....The finding that the respondent was disqualified would be based on the facts existing at the date of nomination and it would have no relevance so far as the position at a future point of time may be concerned, and therefore, in view of the dissolution of the Orissa Legislative Assembly, it would have no practical interest for either of the parties. Neither would it benefit the appellant nor would it affect the respondent in any pratical sense and it would be wholly academic to consider whether the respondent was disqualified on the date of nomination."

18. Again, the Supreme Court observed in Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi (AIR 1987 SC 1577) as follows :

"The election under challenge relates to 1981, its term expired in 1984 on the dissolution of the Lok Sabha, thereafter-another general election was held in December 1984 and the respondent was again elected from 25th Amethi Constituency to the Lok Sabha. The validity of the election field in 1984 was questioned by means of two separate election petitions and both the petitions have been dismissed. The validity of respondent's election has been upheld in Azhar Hussain V. Rajiv Gandhi, AIR 1986 SC 1253 and Bhagwati Prasad v. Rajiv Gandhi (1986) 4 SCC 78: (AIR 1986 SC 1534). Since the impugned election relates to the Lok Sabha which was dissolved in 1984 the respondent's election cannot be set aside in the present proceedings even if the election petition is ultimately allowed on trial as the respondent is a continuing member of the Lok Sabha not on the basis of the impugned election held in 1981 but on the basis of his subsequent election in 1984. Even if we allow the appeal and remit the case to the High Court the respondent's election cannot be set aside after trial of the election petition as the relief for setting aside the election has been rendered in fructuous by lapse of time. In this view grounds raised in the petition for setting aside the election of the respondent have been rendered academic. Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, if would be waste of public time to engage itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of Lords in Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis, 1944 AC 111 observed; "I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question, the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue." These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court."

19. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made, ceased to be a

3353 GI/08-6

member of the House concerned, before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous. To cite a few such cases, the Commission's Opinion dated 17-06-1971 in the reference case regarding alleged disqualification of Sh. Ranjibhai Choudhary and twelve other members of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354), Opinion dated 10-1-1972 in the matter of alleged disqualification of Sh. Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (51 ELR 360), Opinion dated 2-7-1980 in the case of alleged disqualification of Sh. Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh Legislative Assembly, Opinion dated 17-10-1990, in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra, member of Rajya Sabha, Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh. Mahadeo Kashiray Patil, member of Rajya Sabha, Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, member of Rajya Sabha, and Opinion dated 29-8-1997, regarding alleged disqualification of Ms. J.Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.

20. In the case of Dr. Jaganath Mishra (Reference Case of 2 of 1989), the question raised in that case was about alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, then sitting Member of Rajya Sabha, on the ground that he was holding the office of Chairman-cum-Director General of the L.N.Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. In that case, a petition dated 10.6.1989, was referred to the Commission by the President, on 10.7.1989. During the pendency of inquiry by the Commission into the question raised, Dr. Mishra resigned his seat in the Rajya Sabha, and his resignation was accepted by the Chairman of the House on 16.3.1990. The Commission then tendered the opinion that following the resignation of Dr. Mishra, the reference from the President had become infructous. The Commission in its Opinion tendered in that case, observed :

> " Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-03-1990, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructuous."

21. In Reference Case No. 1 of 1992 the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the President, was whether Smt. Jayanthi Natarajan, then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was an Additional Central Govt. Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992. The petition was referred to the Commission on 30.6.1992. The term of membership of Smt. Natarajan expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructuous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992, and tendered opinion to that effect on 12.7.1992.

22. In the Reference Cases relating to Ms. J. Jayalalitha, (Reference Case Nos. 1(G) - 6 (G) of 93 and 1 (G) of 94, [references from the Governor of Tamil Nadu under Article 192 (2)] raising the question of alleged disqualification of Ms. Jayalalitha from membership of Tamil Nadu Legislative Assembly, the Assembly in which she was a member and the membership of which was the subject matter of the question raised in the cases, was dissolved during the pendency of the reference cases. Following the dissolution of the Assembly, the Commission took the view that the cases had become infructous. In that case, relying on the decision of the Supreme Court in *Loknath Padhan Vs. Birendera Kumar Sahu* (Supra), the Commission observed :

> "Having considered all relevant aspects of the said question, the Commission is of the view that any such opinion now would be unnecessary. Any enquiry, at this stage, into the question whether Ms. Jayalalitha had become subject to disqualification for continuing as a member of the earlier House of the Tamil Nadu Legislative Assembly, already dissolved in May, 1996, would be of mere academic interest now, and would be an exercise in futility. Any pronouncement on the above question would not affect her present status, one way or the other, nor would such pronouncement serve any meaningful purpose at this stage. It is a well settled judicial practice, recognised and followed in India, that if an issue is purely academic, in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time, and indeed not proper exercise of authority for the courts to engage themselves in deciding such academic issues. Shri Bobde was right in placing reliance on the decision of the Supreme Court in the case of Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu (Supra). In that case, the election of successful candidate to the Orissa Legislative Assembly was challenged on the ground that he had a subsisting contract with the

Government of Orissa for the execution of certain works and that he was disqualified under Section 9A of the Representation of the People Act, 1951. The High Court dismissed the election petition, but an appeal was pending before the Supreme Court, when, in the meanwhile, the Orissa Legislative Assembly was dissolved. The Supreme Court dismissed the appeal, as having become infructuous, in view of dissolution of the State Legislative Assembly."

23. It would, thus, be seen that in all reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned during the pendency of the proceedings, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value.

24. Having regard to the above constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past, mentioned above, the Commission is of the considered opinion that the present reference on the question of alleged disqualification of Shri N. Jothi for being a member of the Rajya Sabha has become infructuous, in view of the fact that the term of his membership in the Rajya Sabha has expired on 3.4.2008, and he is no longer a member of the House.

25. Accordingly, the reference dated 17th April, 2006, on the question of alleged disqualification of Shri N. Jothi, is hereby returned to the President with the Commission's opinion, under Article 103(2) of the Constitution, to the effect that the same has become infructuous.

(S.Y.Quraishi)	(N.Gopalaswami)	(Navin B.Chawla)
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: **New Delhi**
Dated: **22nd May, 2008.**

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.